



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082022-238165
CG-DL-E-18082022-238165

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3688]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2022/श्रावण 26, 1944

No. 3688]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2022/SHRAVANA 26, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2022

का.आ. 3862(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH65 के 191.5 किमी से 221.5 किमी तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना "हैदराबाद को 4/6 लेन का बनाना - एनएच -65
(पुराना एनएच नंबर 9) का विजयवाड़ा खंड किमी 191.50 से किमी 221.50 तक।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जॉयंट कलेक्टर, एन्टीआर डिस्ट्रिक्ट	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH65 के कि.मी. 191.5 से 221.5 तक	आंध्र प्रदेश	एन्टीआर	नंदीगमा	1 मुनगाचारला 2 नंदीगमा
					जग्गाइयाहपेट	1 गरीकापडु 2 अनुमंचिपल्ली 3 शेरमोहम्मदपेट 4 जग्गय्यपेट 5 तोरगुंतपालेम 6 तिरुमालगीरी 7 चिल्लाकल्लु 8 गौरवरम
					वत्सवई	1 भीमावरम
					पेनुगंचिप्रोलु	1 कोनाकांची 2 नवाबपेट 3 तोताचरला

[फा. सं. NHAI/PIU-HYD/HYD-VIJ/NH-65/LA/2022]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2022

S.O. 3862(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from K.m. 191.5 to K.m. 221.5 of the NH65 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway Project "4/6 laning of Hyderabad - Vijayawada Section of NH-65 (Old NH No. 9) from K.m. 191.500 to K.m. 221.500 in the State of Telangana & Andhra Pradesh.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	JOINT COLLECTOR, NTR DISTRICT	191.5KM To 221.5KM	ANDHRA PRADESH	NTR	Nandigama	1 Munagacharla 2 Nandigama
					Jaggaiahpet	1 Garikapadu 2 Anumanchipally 3 Shermohammadpet 4 jaggaiahpet 5 Torraguntapalem 6 Tirumalagiri 7 Chillakallu 8 Gouravaram
					Vatsavai	1 Bhimavaram
					Penuganchiprolu	1 Konakanchi 2 Nawabpet 3 Totacharla

[F. No. NHAI/PIU-HYD/HYD-VIJ/NH-65/LA/2022]

RAJESH GUPTA, Director